प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों को हुई 08 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांक:06.10.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 06.10.2021 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर 08 वर्ष कठोर कारावास एवम् 5,000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना मछरेहटा से सम्बन्धित मु0अ0सं0 71/14 धारा 304बी/498ए भादवि व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम 1.शिवशंकर पुत्र मेड़ई 2.शिवकली पत्नी शिवशंकर सर्व निवासीगण ग्राम ददेवरा थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर में मछरेहटा पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 06.10.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/SPCOAW कोर्ट सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों शिवशंकर व शिवकली उपरोक्त प्रत्येक को अन्तर्गत धारा 304बी/498ए भा.द.वि व ¾ डीपी एक्ट में 08 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।